न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

बइजलास श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 41/2019

अनुवान लीलाधर वगैरा बनाम धन्नाराम वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 23.11.2020

1. लीलाधर
2. जगदीशप्रसाद
3. जयलाल

} पुत्रगण धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

4. सुशीला देवी पत्नी स्व0 मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

5. संदीप
6. रविना
7. प्रवीना

} पिसरान स्व0 मेहरचन्द जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

—वादीगण

बनाम्

1. धन्नाराम पुत्र राजूराम जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

3. चन्दादेवी पत्नी केशराराम पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. रूकमणी पत्नी [illegible] पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जयसंगसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
5. रामेती पत्नी मनोहरलाल पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील एवं जिला सिरसा हरियाणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:18 IST
Reason: Self Attested

6. रोशनी पत्नी राजेशकुमार पुत्री धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़कियां तहसील एवं जिला सिरसा हरियाणा

—गौण प्रतिवादीगण

उपस्थिति —

श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट वास्ते वादीगण

श्री ओमप्रकाश बेनीवाल प्रतिवादी सं0 1 एवं गौण प्रतिवादी सं0 3 ता 6

पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी संख्या 02

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण सं0 1 ता 3 के दादा एवं वादी सं0 4 के दादाससुर तथा वादीगण सं0 5 ता 7 के परदादा, गौण प्रतिवादी सं0 3 ता 6 के दादा राजूराम वल्द बुधाराम के नाम खातेदारी कृषि भूमि ख0 नं0 82 रकबा 48 बीघा 11 बिश्वा, ख0 नं0 339 रकबा 31 बीघा 12 बिश्वा, ख0 नं0 244 रकबा 16 बीघा, ख0 नं0 322 रकबा 10 बीघा 12 बिश्वा किता 4 कुल तादादी 106 बीघा 15 बिश्वा रोही देवासर तहसील सरदारशहर में स्थित रही है। पक्षकारान वाद के पूर्वज धन्नाराम अपने पिता राजूराम की इकलौती पुत्र संतान होने से राजूराम के स्वर्गवास के पश्चात उनके नाम की खातेदारी कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरण सं0 15 दिनांक 08.10.64 धन्नाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है। पक्षकारान वाद हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित हिन्दू है। वादगत कृषि भूमि पक्षकारान वाद की पुश्तैनी अविभाजित संयुक्त काश्त की कृषि भूमि है। जिस भूमि को वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही प्रतिवादी सं0 1 के साथ मिलकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण प्रतिवादी सं0 1 की जायन्दा संताने वारिसान है और वादगत कृषि भूमि दादालाई सम्पति होने से वादीगण का वादगत कृषि भूमि में जन्म से हक अधिकार कानूनन बनता है। वादगत कृषि भूमि में वादीगण सं0 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा, वादीगण सं0 4 ता 7 का सयुंक्त रूप से 1/9 हिस्सा ब0हि0ब0, प्रतिवादी सं0 1 का 1/9 हिस्सा तथा गौण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा जन्म से ही कानूनन बनता है। वादीगण ने गौण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 के विवाह, भात, छुछक आदि रीति रिवाज सम्पन्न करवाये और हर प्रकार से आर्थिक सहयोग किया जिस कारण गौण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 ने अपना हिस्सा लेने से इनकार कर अपने हिस्से का परित्याग वादीगण के हक में मौखिक रूप से कर दिया है। ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमि में वादीगण सं0 1 ता 3 का 1/5 हिस्सा प्रत्येक का एवं वादीगण सं0 4 ता 7 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा ब0हि0ब0 बनता है। जिसकी घोषणा करवाने का वादीगण कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 राजनैतिक गतिविधियों में अति सक्रिय एवं भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति है। गत कई महीनों से प्रतिवादी सं0 1 को गांव के चतुर, चालक एवं धुर्त किस्म के लोगों ने अपने प्रभाव में ले रखा है और ये लोग प्रतिवादी सं0 1 को बहका रहे है कि इस बार पंचायत चुनाव में अपनी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

अनुसूचित जाति की लॉटरी निकलेगी और आपको सरपंच पद पर चुनाव लड़वायेंगे और पंचायत समिति सरदारशहर के प्रधान पद की लॉटरी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की निकलेगी और अब सरकार ने शिक्षा योग्यता भी हटा दी है आपको प्रधान भी बनाया जा सकता है। प्रतिवादी सं0 1 ऐसे लोगों की बातों में आकर किराये का वाहन लेकर विभिन्न गांवों में घूम रहा है और केसीसी का ऋण भी राजनैतिक फिजूलखर्ची में उड़ा दिया है। अब तो प्रतिवादी सं0 1 आवारा किस्म के लोगों को घर पर लाकर मांस–मदिरा का सेवन कर पार्टियों में पैसे उड़ाकर कर्जदार होता जा रहा है। वादीगण द्वारा समझाने एवं मना करने का कोई असर प्रतिवादी सं0 1 पर नहीं हो रहा है। प्रतिवादी सं0 1 वादगत खातेदारी कृषि भूमि अपने अकेले के नाम होने का फायदा उठाकर वादगत कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल करना चाहता हैं और वादीगण का हक मारने की नियत से किसी दिगर शख्स को वादगत कृषि भूमि विक्रय करने को आमादा है। यदि प्रतिवादी सं0 1 ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी तथा वादीगण को भारी असुविधा एवं कभी पूरा न होने वाला नुकसान होगा। इसलिए वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी सं0 1 को जरिये चिर स्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करावे कि वादीगण के हिस्से तक की कृषि भूमि को विक्रय, स्थानान्तरण, रहन न करे। प्रतिवादी सं0 2 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद ना करे। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 को कहा एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों व रिश्तेदारों से कहलवाया तो प्रतिवादी सं0 1 ने कहा कि मेरे लिए चुनाव लड़ने का अन्तिम अवसर है मैं तो जमीन बेचकर अपनी इच्छापूर्ति करूंगा और आखिरकार दिनांक 02.06.2019 को बमुकाम देवासर तहसील सरदारशहर में मानने से साफ इन्कार हो गया। गौण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 का हिस्सा वादीगण के समान ही कानूनन बनता है परन्तु उन्होंने अपने हक हिस्से का परित्याग मौखिक रूप से ऐलानियां तौर से वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में ब0हि0ब0 कर दिया है वो वादगत कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती है। वादगत कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने से गौण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 का प्रत्येक का 1/9 हिस्सा कानूनन बनता है इसलिए उन्हें पक्षकार वाद संयोजित किया है ताकि वो भी अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सके और न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रकट हो सके।

इस प्रकार वादीगण ने घोषणात्मक खाता विभाजन एवं चिरस्थाई व्यादेश का वाद प्रस्तुत कर कृषि भूमि ख0 नं0 82 रकबा 48 बीघा 11 बिश्वा, ख0 नं0 339 रकबा 31 बीघा 12 बिश्वा, ख0 नं0 244 रकबा 16 बीघा, ख0 नं0 322 रकबा 10 बीघा 12 बिश्वा किता 4 कुल तादादी 106 बीघा 15 बिश्वा रोही देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। वादीगण हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित हिन्दु है जिनका वादगत कृषि भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा बनता है। वादीगण सं0 1 ता 3 प्रतिवादी सं0 1 की जायन्दा पुत्र संताने हैं एवं वादी सं0 4 प्रतिवादी सं0 1 के स्व0 पुत्र मेहरचन्द की पत्नी एवं वादीगण सं0 5 ता 7 स्व0 मेहरचन्द की संतान हैं तथा गौण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 द्वारा अपना हिस्सा वादीगण के हक में मौखिक परित्याग करने से वादगत कृषि भूमि में वादीगण सं0 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा प्रत्येक का एवं वादीगण सं0 4 ता 7 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा कानूनन बनता है। प्रतिवादी सं0 1 को पाबन्द किया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि को अन्य किसी दिगर शख्स अथवा बैंक आदि के बैय, रहन, विक्रय, दान, वसीयत आदि नहीं करे और ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे व करवाये जिससे वादीगण के विरास्तन कानूनी हक व हिस्से पर विपरीत असर पड़े प्रतिवादी सं0 2 को

Signature Not Verified
Digitally Signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

पाबन्द किया जावे कि वोह वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित विक्रय पत्र, रहननामा आदि दस्तावेज पंजीयन नहीं करे का अनुतोष चाहा।

वाद प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत हुए और इकबाल जबाब दावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने इकबाल जबाबदावा में वादीगण के दावा में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी सं0 1 को आपति नहीं है और अपनी सहमति वादीगण के हक में दी। दिनांक 20.11.2020 को वादीगण संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर एवं वादीगण संख्या 6 ता 07 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा प्रतिवादी सं0 1 तथा गौण प्रतिवादी सं0 3 ता 6 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और राजीनामा में यह अंकित किया कि वादीगण द्वारा वाद में चाहा गया अनुतोष 'क' व 'ख' के अनुसार वाद डिक्री किये जाने पर पक्षकार वाद सहमत एवं राजी हैं तथा गौण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 प्रत्येक ने अपना 1/9 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के हक में छोड़ने के तथ्यों का उल्लेख भी राजीनामा में किया। राज पैरोकार को कई अवसर प्रदान करने पर भी जबाब दावा पेश नहीं करने पर जबाब बन्द किया गया। पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से विवाद्यक बिन्दु तय नहीं किए गए।

बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील वादीगण ने अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादगत कृषि भूमि पक्षकारान वाद के पूर्वज राजू वल्द बुधा की खातेदारी कृषि भूमि रही है। राजूराम का स्वर्गवास हो जाने पर प्रतिवादी सं0 1 इकलौती संतान होने से उक्त भूमि विरास्तन प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। वादगत कृषि भूमि पक्षकारान वाद की पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक हिस्सा कानूनन बनता है। वादीगण हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित हिन्दु है जिनका वादगत कृषि भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा बनता है। वादीगण सं0 1 ता 3 प्रतिवादी सं0 1 की जायन्दा पुत्र संताने हैं एवं वादी सं0 4 प्रतिवादी सं0 1 के स्व0 पुत्र मेहरचन्द की पत्नी एवं वादीगण सं0 5 ता 7 स्व0 मेहरचन्द की संताने होने से तथा गौण प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 द्वारा अपना हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के हक में अपना हिस्सा त्याग देने से वादगत कृषि भूमि में वादीगण सं0 1 ता 3 का 1/5 हिस्सा प्रत्येक का एवं वादीगण सं0 4 ता 7 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा बनता है। वादीगण ने अपनी बहस में प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये इकबाल जबाब दावा व राजीनामा प्रार्थना पत्र की ओर भी न्यायालय का ध्यान दिलाया तथा राजस्व रिकॉर्ड की ओर भी ध्यान इंगित करवाया और राजीनामा के आधार पर दावा के अनुतोष 'क' व 'ख' के अनुसार ही दावा डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

वकील पक्षकारान के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा राजीनामा में उल्लेखित तथ्यों पर मनन किया गया। वादीगण ने [redacted] के अनुतोष 'ग' व 'घ' को प्राप्त करने हेतु कोई बल नहीं दिया। वादीगण यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि वादगत कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमें उनका हक हिस्सा कानूनन बनता है। जिनकी ताईद राजीनामा में वर्णित तथ्यों से होती है। वादीगण दावा में वर्णित

तथ्यों को साबित करने में पूर्णत सफल रहे हैं। उक्त दावा के तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर दोनो पक्षों को सुना गया और राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर राजीनामा के आधार पर निर्णित करना उचित समझती हूं एवं वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

आदेश

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख0 नं0 82 रकबा 48 बीघा 11 बिश्वा, ख0 नं0 339 रकबा 31 बीघा 12 बिश्वा, ख0 नं0 244 रकबा 16 बीघा, ख0 नं0 322 रकबा 10 बीघा 12 बिश्वा किता 4 कुल तादादी 106 बीघा 15 बिश्वा रोही देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में वादीगण सं0 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा एवं वादीगण सं0 4 ता 7 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा भूमि खातेदारी एवं इसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं0 02 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे निर्णय आदेश की पालना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जाता है।

(रीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल–47 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

बइजलास श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 41/2019

अनुवान लीलाधर वगैरा बनाम धन्नाराम वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट मिनजानिब मुदई हाजरी श्री ओमप्रकाश बेनीबाल एडवोकेट मिनजानिब मुदायलाह पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि ख0 नं0 82 रकबा 48 बीघा 11 बिश्वा, ख0 नं0 339 रकबा 31 बीघा 12 बिश्वा, ख0 नं0 244 रकबा 16 बीघा, ख0 नं0 322 रकबा 10 बीघा 12 बिश्वा किता 4 कुल तादादी 106 बीघा 15 बिश्वा रोही देवासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में वादीगण सं0 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा एवं वादीगण सं0 4 ता 7 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा भूमि खातेदारी एवं इसी अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद किया जावे। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। उपरोक्त निर्णय एवं आदेशानुसार प्रतिवादी सं0 02 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे निर्णय आदेश की पालना करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जाता है।

.....बीज .....मुबलिग .....

बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरद्द .....

.....फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल नगदी रू.....

.....का अदा करें।

मेरे दस्तखत मुहर अदालत से आज तारीख 23.11.2020 को जारी की गई है।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	08	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	04	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	0	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	16	0	मिजान	01	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2021.02.19 16:56:18 IST
Reason: SelfAttested